RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-01
January-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन मधेपुरा के संदर्भ में

डा0 सूर्य प्रकाश कुमार

इतिहास विभाग बी0 एन0 एम0 यू मधेपुरा बिहार

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 28 January 2018

Keywords

मध्याह्न भोजन, सामाजिक स्थिति, संस्कृति

ABSTRACT

मधेपुरा जिला में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति पर सिर्फ सरकारी योजनाओं में चर्चा हुई है, वास्तविकता तो यह है कि ये लोग अभी भी रोटी–दाल की चिंता से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं । अगर ये स्कूल में नामांकन ले भी रहे हैं तो इसके पीछे इनका उद्देश्य मध्याह्न भोजन एवं ड्रेस आदि के लिए दी जाने वाली राशि है । जनजातियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उनके शैक्षणिक स्थिति में सुधार की अति आवश्यकता है । यह कथन काफी उपयुक्त है –

''शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते है ''–नेल्सन मंडेला इस अध्ययन में शिक्षा के माध्यम से लोगो के अज्ञानता को दूर कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है । जनजातियों को संवैधानिक आधिकार प्राप्त है उनका उन्हें ज्ञान हो जाय जिससे उनका शोषण न हो सके । वे अपनी परम्परा एवम संस्कृति को संरक्षित कर सके और उनके गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी वर्तमान समाज बने एवं आने वाली हमारी पीढ़ियां भी रूबरू हो सके।

परिचय

जनगणना 2011 के आकड़े के आधार पर भारत की जनजातीय समुदाय की साक्षरता दर 58.96 प्रतिशत है जबकि अन्य सामजिक वर्ग जिसकी साक्षरता दर 72. 99 प्रतिशत है अन्य सामजिक वर्ग और जनजातीय वर्ग के मध्य साक्षरता अंतराल 14.03 प्रतिशत का है। जबकि जनजातीय समूह के विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुंच या शिक्षा तक जनजातीय विद्यार्थियों की पहुंच सक। प्राथमिक स्तर तक 11.00 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर तक 8.7 प्रतिशत छात्र तथा माध्यमिक स्तर तक 6.4 प्रतिशत ही छात्रों का नामांकन हुआ है या शिक्षा तक पहुच हुई है। वही सकल नामांकन अनुपात (जी इ आर) 2010–2011 में सभी सामाजिक समूह का 119.8 प्रतिशत है तथा जनजातीय समूह का 86.5 प्रतिशत है अगर जनजातीय समूह में उच्च शिक्षा में सफल नामंकन अनुपात की बात करे तो वह मात्र 10.5प्रतिशत ही है, जो निम्न स्तर है, जनजातीय समूह में बालिकाओं तक शिक्षा की पहुच 100 बालको के अनुपात में मात्र 91 बलिकाओं तक ही है।

ये विभिन्न आकड़े जनजातीय समूह में शिक्षा के स्तर और उनकी शिक्षा तक पहुच को प्रदर्शित करता है, जो उनकी वर्तमान शिक्षा की स्थिति को प्रदर्शित करते है, वहीं जनजातीय समूह में अपव्यय एवम अवरोधन दोनों समस्याएं विद्यमान है कक्षा 1 से 10 के मध्य तक 78.9 प्रतिशत विद्यार्थी बीच में ही स्कुल को छोड़कर चले जाते ।

जनजतीय शिक्षा के विकास संबंधी योजनाए–

(1) जनजातीय लड़कों एवम लडकियों हेतू छात्रावास लडकों के वेहतर आवासी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 1989–90 में छात्रावास की शुरुआत की गई जबकि लडकियों हेतू 2000–2001 के दौरान छात्रावास निर्माण का कार्य किया गया ।

(2)आश्रम विद्यालय – यह योजना 1990–91 में शुरू हुई थी इसमे जनजातीय बच्चो को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई ।

(3)जनजातीय क्षेत्रो में व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र – इस योजना का उद्देश्य विभिन्न पारम्परिक आधुनिक व्यवसाय में उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रुझानो तथा बाजार क्षमता के आधार पर जनजातीयो के कौशल का उन्नयन करना है ।

(4)जनजातीय लड़कियों के बीच शिक्षा सुदृढ़करण – यह सरकारती नेंटर याधारित योजना है इस योजना का उद्देश्य पहचाने गए जिलों एवम ब्लाकों में जनजातीय लडकियों को 100ः नामांकन की सुबिधा के माध्यम से जनजातीय महिलायों के बीच शिक्षा स्तर के अंतर को समाप्त करना तथा शिक्षा के अपेक्षित के परिवेश के सृजन द्वारा शिक्षा बीच में छोड़ने की दर को कम करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवम् जनजातियों की शिक्षा भारतीय संबिधान के अनुच्छेद 21(क) में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, यह 6 से 14 वर्ष के बालको को निःशुल्क एवम अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। शिक्षा का अधिकार

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

अधिनियम लागु हो जाने के पश्चात् जनजातीय समूह की शिक्षा में आमूल परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है खास जनजातीय समूह के बालकों सफल नामांकन अनुपात प्रारंभिक शिक्षा में जो 119.81 है इस बात को परिणाम है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात् जनजातीय शिक्षा में वृद्धि हुई। जनजातियों की शिक्षा की बात की जाय तो वह वर्तमान के अन्धकार से निकल कर प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ी है बस उसे सही रास्ते दिखाने की जरुरत है जिससे इस समाज की शैक्षिक स्थिति अच्छा से वेहतर हो सके ।

जनजातियों के पारम्परिक ज्ञान की तथाकथित मुख्य धारा के समाज द्वारा घोर उपेक्षा भी की जाती रही है यह तथाकथित मुख्यधारा का समाज आज के युग को विज्ञान का युग मानता है और जनजातियों कीयो के पारंपरिक ज्ञान विज्ञान एवम कलाओं को हेय दृष्टि से देखता है। जनजातियों की शिक्षा के सम्बन्ध हम यही कहेगे कि इनकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मका का विकास किया जाय साथ ही इन्हे शिक्षा प्राप्ति हेतू अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाय, बच्चो को स्कूली शिक्षा जारी रखने और स्कूली पढाई छोड़ने से रोकने के लिए, सरकारी स्कूलों और समुदाय के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे जनजातीय बच्चों को भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराये यदि स्कूल इन बच्चों के अरुचिकर और प्रतिकूल स्थान बना रहेगा, तो ऐसे में स्कूली शिक्षा में इन बच्चो की समग्र शैक्षिक भागीदारी की दिशा मं बहुत कुछ करना बाकी रह जायेगा । अब जरूरत इस बात की है कि महज शिक्षा के प्राथमिक और बाद के स्तरों पर दाखिला लेने तक सीमित न रहकर उससे आगे बढ़ा जाय, जनजातियों की लडकियों को साथ जोड़ने और उनकी स्कूल तक पहूंच संभव बनाने के लिए विशेष प्रयास करना एक महत्वपूण चुनौती है क्योकि अपने वर्ग के लडकों की तुलना में ये लडकियां जनजाति, जेंडर और सामाजिक वर्ग के संदर्भ में दोगुना या तीनगुना ज्यादा सुविधाहीन है। जिससे परिवर्तन की किसी की गयी प्रक्रिया को मिश्रित प्रयासों या जनजाति,जेंडर और अंतर–वर्गीयता पर सावधानी से गौर करना होगा ।

शोध क्षेत्र

मधेपुरा में 13 प्रखंड हैं जहां जनजातियों की आबादी है। इनमें सिंहेश्वर, मुरलीगंज एवं मधेपुरा नगर–परिषद क्षेत्र शहरी हैं जबकि चौसा, पुरैनी, आलमनगर, बिहारीगंज, ग्वालपाड़ा, गम्हरिया, घैलाड़, शंकरपुर एवं कुमारखंड प्रखंड ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। मधेपुरा जिला में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 12ए532 है जिसमें 5,176 शिक्षित और 7,356 लोग अशिक्षित हैं।

शोध उद्देश्य

शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हमारे जैसे आधुनिक समाज में व्यक्ति और वर्ग सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। शिक्षा सामजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का भी माध्यम है जो सामान्यतरू पदानुक्रम रूप में व्यवस्थित है और जहा सर्वत्र असमानताएं व्याप्त है। भारतीय समाज में, जो अनिवार्य और एतिहासिक रूप से जातीय आधार पर संरचित है, जहां सामाजिक असमनातायें प्राथमिक तौर पर जातीय आधार पर बनती और नए सिरे से पनपती रहती है। जनजातीय लडकों व लडकियों के लिए स्कूल ऐसा होना चाहिए जो उन्हें उनके ऐतिहासिक पूर्वृत्तो और किसी समुदाय विशेष में जन्म लेने की वजह से मिले अभावों से मुक्ति दिलाए स्कूल और समाज दोनों को न्ययोचित्त और निष्पक्ष रवैया अपनाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय समाज सही मायनों में लोकतान्त्रिक समाज होने का दावा कर सके जहा सभी नागरिको से बराबरी का व्यवहार होता है। अनुसूचित जनजातियो जैसी जातीयां जो विशेषाधिकार से वंचित है वे परम्परागत पेशेवर वर्गीकरण के सबसे निचले पायदान पर हैं। आवश्यकता है उन्हें शिक्षा के माध्यम से उनके अधिकारों से अवगत कराया जाय और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए ।

श्रोत – भारत सरकार जनगणना,2011

उपर दिए गए सारणी में उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इतने सारे योजनाओ के बाद भी लोग पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं । शिक्षा के अभाव में वे अपनी जीवन शैली को नहीं बदल पा रहे हैं ।

निष्कर्ष

अब जरुरत इस बात की है कि महज शिक्षा के प्राथमिक और बाद के स्तरों में दाखिला लेने तक सीमित न रहकर उनसे आगे बढ़ा जाय, स्कुल जैसे ही उल्लास और व्यापक रूप से सिखाने की जगह बनेगा, वैसे ही इन वर्गों के बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तरों तक पहुचने में सहायक होगा, जिससे उनका शिक्षित श्रम बाजार में समावेश सुनिश्चित हो सकेगा । वास्तव में जरूरत इस बात की है कि सरकार विशेषकर जनजातीय सम्ह के विद्यार्थीय पर विशेष फोकस कर सके जिससे उनमे शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ सके जो उनके सामाजिक प्रक्रिया के हाशिये से निकल कर मुख्यधारा से जुड़े। प्रमुख शिक्षा शास्त्री जान डीवी का कहना है

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

कि व्यक्तित्व की श्रेष्ठता का सामाजिक दक्षता से विरोध सामन्तवादी व्यवस्था के आधार पर संगठित समाज की देन है । जिसमे हीन और श्रेष्ठ के बीच कठोर विभाजन होता है। लोकतान्त्रिक समाज के सभी सदस्यों से यह उपेक्षा की जानी चाहिए कि वे समाज को कुछ दे और सभी को अपनी विशिष्ठ क्षमताओ का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved